Political Science

E-ISSN No : 2456-5040 | Volume : 11 | Special Issue | Aug 2026

भारत में राज्य, समुदाय एवं वन अधिकारः भारतीय राज्य की अवधारणा तथा जमीनी स्तर पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन – एक समालोचनात्मक समीक्षा

मोनिका

रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, फोनिक्स यूनिवर्सिटी, रुड़की

How to Cite:
मोनिका (2026), भारत में राज्य, समुदाय एवं वन अधिकारः भारतीय राज्य की अवधारणा तथा जमीनी स्तर पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन – एक समालोचनात्मक समीक्षा, International Educational Applied Scientific & Research Journal (IEASRJ), Vol: 11, Special Issue, Aug, 131-134

ABSTRACT

भारत में वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, बल्कि आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी समुदायों की आजीविका, संस्कृति और पहचान का आधार भी हैं। लंबे समय तक वन प्रशासन राज्य–केंद्रित रहा, जिसके कारण इन समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को पर्याप्त कानूनी मान्यता नहीं मिल सकी। इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधि ानियम, 2006 लागू किया गया। यह समीक्षा–पत्र भारतीय राज्य की अवधारणा, समुदाय आधारित वन शासन तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम ने सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय आधारित वन प्रबंधन को नई दिशा प्रदान की है। साथ ही, प्रशासनिक समन्वय की कमी, दावों के निस्तारण में विलंब, जागरूकता की कमी तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की सीमित मान्यता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर तथा समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके ही इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति की जा सकती है।

मुख्य शब्दः भारतीय राज्य, समुदाय, वन अधिकार, वन अधिकार अधिनियम 2006, ग्राम सभा, आदिवासी, सामुदायिक वन संसाधन, सतत विकास।

1. प्रस्तावना

भारत विश्व के उन देशों में है जहाँ जैव विविधता, वन संपदा तथा आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विविधता अत्यंत समृद्ध है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर करती है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य परंपरागत वनवासी समुदाय अपनी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, आवास, औषधीय आवश्यकताओं तथा सांस्कृतिक जीवन के लिए वन संसाधनों पर आश्रित हैं।

औपनिवेशिक शासन के दौरान वन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्ति एवं संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी वन संरक्षण की नीतियों में राज्य की भूमिका प्रमुख रही, जबकि समुदायों की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रही। इससे वन संरक्षण और स्थानीय अधिकारों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।

इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के ऐतिहासिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करना तथा वन शासन में ग्राम सभाओं और स्थानीय समुदायों की भूमिका को सुदृढ़ करना है। यह कानून केवल भूमि के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा सहभागी शासन की अवधारणा को भी मजबूत करता है।

इस समीक्षा–पत्र का उद्देश्य भारतीय राज्य की भूमिका, समुदाय आधारित वन शासन की अवधारणा तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के जमीनी क्रियान्वयन की उपलब्धियों और चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

2.साहित्य समीक्षा

वन अधिकार, भारतीय राज्य तथा समुदाय आधारित वन शासन पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि भारत में वन प्रशासन का विकास राज्य–केंद्रित व्यवस्था से सहभागी एवं अधिकार–आधारित व्यवस्था की ओर हुआ है। विभिन्न विद्वानों, सरकारी रिपोर्टों तथा शोध अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि वनों का संरक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

भारतीय वन नीति, 1988 ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सहभागिता आवश्यक है। इसके पश्चात् पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने ग्राम सभाओं को अधिक

Research Paper

Copyright© 2026, IEASRJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

अधिकार प्रदान किए। इन कानूनों ने वन शासन में विकेंद्रीकरण तथा सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को सुदृढ़ किया।

Ramachandra Guha ने अपनी कृतियों में स्पष्ट किया है कि औपनिवेशिक वन नीतियों ने स्थानीय समुदायों और वनों के पारंपरिक संबंधों को कमजोर किया। उनके अनुसार वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना सतत वन संरक्षण संभव नहीं है।

Madhav Gadgil एवं Ramachandra Guha ने प्राकृतिक संसाधनों के लोकतांत्रिक प्रबंधन पर बल देते हुए कहा कि स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक न्याय दोनों के लिए आवश्यक है।

Elinor Ostrom ने सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन के अपने सिद्धांत में बताया कि यदि स्थानीय समुदायों को स्पष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाएँ, तो वे संसाधनों का अधिक प्रभावी एवं सतत संरक्षण कर सकते हैं। यह सिद्धांत वन अधिकार अधिनियम, 2006 की मूल भावना से मेल खाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य केवल भूमि अधिकार प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना तथा ग्राम सभाओं को वन संसाधनों के प्रबंधन में सशक्त बनाना भी है।

उपलब्ध अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि जिन राज्यों में सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resource Rights) को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, वहाँ वन संरक्षण, जैव विविधता, आजीविका तथा स्थानीय शासन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। दूसरी ओर, कई राज्यों में प्रशासनिक जटिलताओं, विभागीय समन्वय की कमी तथा जागरूकता के अभाव के कारण अधिनियम का अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता।

समग्र रूप से उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारतीय वन शासन में अधिकार–आधारित दृष्टिकोण को स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार, ग्राम सभाओं का सशक्तीकरण तथा समुदायों की सक्रिय भागीदारी अभी भी आवश्यक है।

2.1 शोध अंतर

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से निम्नलिखित शोध अंतर स्पष्ट होते हैं–

1. अधिकांश अध्ययन किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित हैं।
2. भारतीय राज्य की अवधारणा तथा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्संबंध पर सीमित शोध उपलब्ध है।
3. सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के दीर्घकालिक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण अपेक्षाकृत कम है।
4. वन अधिकार, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय शासन के संयुक्त अध्ययन की आवश्यकता है।
5. जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण तथा वन अधिकारों के संबंध में और अधिक शोध की आवश्यकता है।
6. भारतीय राज्य की अवधारणा एवं वन अधिकार अधिनियम, 2006

3. भारतीय राज्य की अवधारणा एवं वन अधिकार अधिनियम, 2006

3.1 भारतीय राज्य की अवधारणा

भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं गणतांत्रिक राज्य है, जिसका मूल उद्देश्य संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित करना है। भारतीय संविधान राज्य को केवल प्रशासनिक संस्था नहीं मानता, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाला एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) मानता है। इसी कारण अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों का संरक्षण भी राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

औपनिवेशिक काल में वनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया था। वनों को राजस्व एवं औद्योगिक संसाधन के रूप में देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकार सीमित हो गए। स्वतंत्रता के बाद भी वन संरक्षण की नीति जारी रही, परंतु धीरे–धीरे यह महसूस किया गया कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना न तो वनों का संरक्षण संभव है और न ही सतत विकास।

3.2 वन अधिकार अधिनियम, 2006 की आवश्यकता

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का निर्माण उन ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया, जिनका सामना अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों ने वर्षों तक किया। इस अधिनियम ने पहली बार उनके पारंपरिक वन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की।

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं–

- अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों की मान्यता।
- ऐतिहासिक अन्याय का निवारण।
- ग्राम सभा को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त बनाना।
- सामुदायिक वन संसाधनों का संरक्षण।
- सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- वन संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करना।

3.3 अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकार

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख अधिकार प्रदान किए गए हैं–

(क) व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights): वन भूमि पर परंपरागत रूप से खेती कर रहे पात्र परिवारों को भूमि उपयोग का अधिकार।

(ख) सामुदायिक वन अधिकार (Community Rights): ग्राम समुदाय को लघु वनोपज, जल स्रोत, चराई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों तथा अन्य पारंपरिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार।

(ग) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights): ग्राम सभा को वन संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत उपयोग का अधिकार।

3.4 ग्राम सभा की भूमिका

वन अधिकार अधिनियम में ग्राम सभा को सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना गया है। ग्राम सभा–

- वन अधिकारों के दावों की प्रारंभिक जाँच करती है।
- वन अधिकार समिति का गठन करती है।
- दावों का सत्यापन करती है।
- सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण की योजना बनाती है।
- स्थानीय स्तर पर वन शासन को मजबूत करती है।

इस प्रकार अधिनियम ने ग्राम सभा को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सहभागी लोकतंत्र का आधार बनाया है।

3.5 अधिनियम का महत्व

वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने भारतीय वन शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इसने वनवासियों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि वन संसाधनों के सहभागी प्रबंधक के रूप में स्थापित किया। इससे सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास हुआ है।

4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयनः उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं समालोचनात्मक विश्लेषण

4.1 अधिनियम का जमीनी क्रियान्वयन

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम सभा, वन अधिकार समिति (Forest Rights Committee), उप–मंडल स्तरीय समिति (SDLC) तथा जिला स्तरीय समिति (DLC) के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा दावों की पहचान और सत्यापन करती है, जबकि जिला स्तरीय समिति अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन अधिकारों को पारदर्शी एवं न्यायसंगत ढंग से मान्यता देना है।

4.2 अधिनियम की प्रमुख उपलब्धियाँ

(क) ऐतिहासिकअन्यायकानिवारण

इस अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के ऐतिहासिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान की। इससे लाखों परिवारों को भूमि एवं वन संसाधनों पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए।

(ख) ग्राम सभा का सशक्तीकरण

अधिनियम ने ग्राम सभा को वन शासन की केंद्रीय संस्था बनाया है। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हुई तथा समुदायों की भागीदारी बढ़ी।

(ग) आजीविका में सुधार

लघु वनोपज, बाँस, महुआ, तेंदूपत्ता, शहद एवं अन्य वन उत्पादों पर अधिकार मिलने से अनेक वनवासी परिवारों की आय और आजीविका में सुधार हुआ है।

(घ) महिलाओं की भागीदारी

अधिनियम के अंतर्गत कई मामलों में संयुक्त स्वामित्व एवं ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया, जिससे महिला सशक्तीकरण को बल मिला।

(ङ) पर्यावरण संरक्षण

जहाँ सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रभावी रूप से लागू हुए हैं, वहाँ वन संरक्षण, जैव विविधता, जल स्रोतों की रक्षा तथा अवैध कटाई पर नियंत्रण जैसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

4.3 क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि अधिनियम अत्यंत प्रगतिशील है, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

1. दावों के निस्तारण में विलंब कई राज्यों में वन अधिकार संबंधी दावों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगता है, जिससे पात्र परिवार लंबे समय तक अधिकारों से वंचित रहते हैं।
2. दस्तावेजों का अभाव अनेक वनवासी समुदायों के पास अपने पारंपरिक अधिकारों के लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। परिणामस्वरूप वास्तविक दावे भी अस्वीकृत हो जाते हैं।
3. विभागीय समन्वय की कमी वन विभाग, राजस्व विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।
4. जागरूकता की कमी ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों में अनेक लोगों को अधिनियम के प्रावधानों और अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी नहीं है।
5. सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की सीमित मान्यता कई राज्यों में व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights) कम स्वीकृत हुए हैं।

4.4 समालोचनात्मक विश्लेषण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारतीय वन शासन में अधिकार–आधारित एवं सहभागी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसने वनवासियों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि वन संसाधनों के सहभागी प्रबंधक के रूप में स्थापित किया है। तथापि विभिन्न राज्यों में इसके क्रियान्वयन में असमानता, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा संस्थागत समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं।

यदि ग्राम सभाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग तथा प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जाए, तो यह अधिनियम वन संरक्षण और समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास दोनों में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 भारतीय वन शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कानून है। इस

अधिनियम ने पहली बार अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए सामाजिक न्याय, सहभागी लोकतंत्र तथा सतत विकास के सिद्धांतों को मजबूत किया है।

समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्य की भूमिका केवल वन संसाधनों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों को अधिकार देकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना भी उसका दायित्व है। जहाँ ग्राम सभाओं को पर्याप्त अधिकार एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हुआ है, वहाँ वन संरक्षण एवं समुदायों की आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। हालाँकि, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में दावों के निस्तारण में विलंब, विभागीय समन्वय की कमी, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की सीमित मान्यता तथा जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान के बिना अधिनियम के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए जा सकते।

अतः यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जाए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए तथा समुदायों को वन संरक्षण एवं संसाधन प्रबंधन में वास्तविक भागीदार बनाया जाए। इससे सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकेगा।

6. सुझाव

1. ग्राम सभाओं को अधिक निर्णयात्मक अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
2. वन अधिकार अधिनियम के संबंध में व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
3. वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
4. सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों की मान्यता को प्राथमिकता दी जाए।
5. महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
6. वन अधिकारों से संबंधित दावों के निस्तारण हेतु समयबद्ध एवं पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए।
7. स्थानीय समुदायों के लिए लघु वनोपज आधारित आजीविका कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए।
8. डिजिटल रिकॉर्ड एवं GIS आधारित मानचित्रण का उपयोग बढ़ाया जाए।
9. विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों द्वारा वन अधिकारों पर अधिक शोध को प्रोत्साहित किया जाए।
10. वन संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की नीतियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

सन्दर्भ

1. Government of India. (2006). The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
2. Ministry of Tribal Affairs. (2012). Forest Rights Act: Rules and Guidelines.
3. Government of India. (1988). National Forest Policy.
4. Government of India. (1996). Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act.
5. Government of India. (1980). Forest (Conservation) Act.
6. Government of India. (1972). Wildlife (Protection) Act.
7. Forest Survey of India. India State of Forest Report.
8. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Annual Report.
9. Gadgil, M., & Guha, R. (1995). Ecology and Equity.
10. Guha, R. (1989). The Unquiet Woods.
11. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons.
12. Baviskar, A. (1995). In the Belly of the River.
13. World Bank. Forests and Sustainable Development.
14. UNDP. Human Development Report.
15. Ministry of Tribal Affairs. Annual Report.